जननायक चन्द्रशेखर विश्वविद्यालय, बलिया
Jananayak Chandrashekhar University, Ballia

पत्रांक–जे0एन0सी0यू0 / सा0प्र0 /१९८८ / 2026 दिनांकः 01 जून, 2026

कार्यालय आदेश

एतद्द्वारा जननायक चन्द्रशेखर विश्वविद्यालय, बलिया से सम्बद्ध समस्त राजकीय एवं अनुदानित महाविद्यालयों के प्रबन्धक/प्राचार्यों को संसूचित किया जाता है कि राज्यपाल सचिवालय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ के पत्र संख्याः ई–3403/32–जी0एस0/2026, दिनांकः 28.05.2026 (संलग्न) के अनुक्रम में महाविद्यालयों में रिक्त महिला छात्रावासों एवं प्राचार्य आवासों तथा महाविद्यालयों की समस्याओं के दृष्टिगत उपर्युक्त पत्र के प्रस्तर 04 के उप–प्रस्तर 4.1 से 4.3 के अनुसार यथा आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

संलग्नकः यथोक्त।

(एस0एल0पाल)
कुलसचिव

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः

1. माननीय कुलपति जी।
2. प्रबन्धक/प्राचार्य, समस्त सम्बद्ध राजकीय एवं अनुदानित महाविद्यालय, जननायक चन्द्रशेखर विश्वविद्यालय, बलिया को तद्नुक्रम में सूचनार्थ प्रेषित।
3. प्रभारी वेबसाइट को विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
4. सम्बन्धित पत्रावली।

कुलसचिव

पताः–शहीद स्मारक, निकट सुरहाताल, जिला–बलिया,उ0प्र0, पिनकोडः–277301
Address:- Saheed Smarak, Near Surha Taal, Dist-Ballia, U.P. Pin Code- 277301
Website:-www.jncu.ac.in E-mail :- jncuballia@gmail.com

Scanned with OKEN Scanner

ई–मेल द्वारा

Imp.
Registrar
Pl. issue notification in this regard.
01/06/2026

राज्यपाल सचिवालय, उत्तर प्रदेश

लखनऊ–226027

संख्या:ई– 3403 / 32–जी0एस0 / 2026

दिनांक: 28/05/. 2026

प्रेषक:

श्री राज्यपाल / कुलाधिपति के
विशेष कार्याधिकारी
(अपर मुख्य सचिव स्तर)
उत्तर प्रदेश।

सेवा में,

कुलपति,
समस्त राज्य विश्वविद्यालय,
उत्तर प्रदेश।

महोदय / महोदया,

कृपया आप अवगत है कि प्रदेश के विभिन्न विश्वविद्यालयों से सम्बद्ध राजकीय एवं अनुदानित महाविद्यालयों के प्राचार्यों, विश्वविद्यालयों के कुलपतिगण, अधिकारियों, फैकेल्टी डीन, विभागाध्यक्षों / अध्यापकों के साथ विभाग के माननीय मंत्रीगण (उच्च शिक्षा विभाग) तथा उच्च शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश के सम्बन्धित अधिकारियों की उपस्थिति में माननीय कुलाधिपति महोदया की अध्यक्षता में गत माह बैठकें आयोजित की गई। इन बैठकों में विश्वविद्यालय एवं सम्बद्ध राजकीय एवं अनुदानित महाविद्यालयों द्वारा प्रस्तुतीकरण किया गया था।

2. उपर्युक्त समीक्षा बैठकों / प्रस्तुतीकरण में यह तथ्य प्रकाश में आया कि अधिकांश महाविद्यालयों में महिला छात्रावास तथा प्रधानाचार्य आवास निर्मित हैं, परन्तु उनका उपयोग नहीं हो रहा है। उक्त भवनों का उपयोग न होने से यह जर्जर होते जा रहे हैं और शासकीय धन का अपव्यय हो रहा है।

3. इसके अतिरिक्त यह भी तथ्य प्रकाश में आया है कि विश्वविद्यालय के कुलपति, उच्च शिक्षा विभाग के अधिकारीगण आदि का समय–समय पर महाविद्यालायों में भ्रमण न होने पर वहाँ की अधिकांश समस्याओं की जानकारी नहीं हो पाती, जिसके परिणामस्वरूप महाविद्यालय में शैक्षणिक प्रगति अवरूद्ध होती है।

4. अतएव उपर्युक्त तथ्यों के दृष्टिगत निम्नांकित बिन्दुओं पर कार्यवाही किया जाना अपेक्षित प्रतीत होता है:–

4.1 महाविद्यालयों में निर्मित महिला छात्रावासों को उपयोग में लाया जाय। यदि छात्रावास में छात्राओं का अधिवास नहीं हो रहा है तो उक्त छात्रावास को आवश्यकतानुसार महाविद्यालय के अन्य प्रयोजनों (यथा– रोजगारपरक, शैक्षणिक

Scanned with OKEN Scanner

कार्यक्रमों के संचालन, एकेडमिक, विभिन्न प्रयोगशाला, लाइब्रेरी आदि) में प्रयोग किया जाय।

4.2 महाविद्यालयों में निर्मित एवं रिक्त पड़े प्राचार्य के आवास में प्राचार्यों को निवास करने हेतु निर्देशित किया जाय, यदि प्राचार्य का निवास सम्भव न हो तो उक्त आवासों को विभिन्न शैक्षणिक गतिविधियों एवं कार्यक्रमों हेतु प्रयोग में लाया जाय।

4.3 विश्वविद्यालय के कुलपति/कुलसचिव एवं अन्य अधिकारीगण, उच्च शिक्षा विभाग, उ.प्र. के अधिकारीगण आदि द्वारा समय-समय पर महाविद्यालयों का भ्रमण किया जाय, जिससे महाविद्यालयों में व्याप्त छोटी-छोटी समस्याओं का त्वरित निवारण हो सके।

5. अतएव इस सम्बन्ध में मुझे आपसे यह कहने का निदेश हुआ है कि महाविद्यालयों में रिक्त महिला छात्रावासों एवं प्राचार्य आवासों तथा महाविद्यालयों की समस्याओं के दृष्टिगत उपर्युक्त प्रस्तर 4 के उप-प्रस्तर 4.1 से 4.3 के अनुसार आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।

भवदीय,

29/5/26

(डॉ. सुधीर एम. बोबडे)
भा.प्र.से.(से.नि.)
कुलाधिपति के विशेष कार्याधिकारी
(अपर मुख्य सचिव स्तर)

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतुः-

1. प्रमुख सचिव, उच्च शिक्षा, उत्तर प्रदेश शासन।
2. विशेष सचिव, उच्च शिक्षा, उत्तर प्रदेश शासन।
3. निजी सचिव, माननीय मंत्री जी, उच्च शिक्षा, उत्तर प्रदेश को माननीय मंत्री जी के संज्ञानार्थ।

(डॉ. सुधीर एम. बोबडे)
भा.प्र.से.(से.नि.)
कुलाधिपति के विशेष कार्याधिकारी
(अपर मुख्य सचिव स्तर)

Scanned with OKEN Scanner